उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –231/2008

शिवमंगल कुँवर............................वादी।

बनाम्

काशीनाथ पाण्डेय वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

02.02.2026

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 17.11.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 21 तिलेश्वर कुँवर की मृत्यु दिनांक 25.09.2025 को हो चुकी है और उनके कानूनी वारिसान राजकुमारी देवी, अशोक कुँवर, अवधेश कुँवर, बबन कुँवर, दिनेश कुँवर, संतोष कुँवर, तारा देवी, चतुरी देवी के नाम को प्रतिस्थापित करने तथा मृत प्रतिवादी सं0 21 तिलेश्वर कुँवरे का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन के विरूद्ध में प्रति–उतर दाखिल कर आपत्ति दर्ज किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय–सीमा के अन्दर है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 17.11.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 21 तिलेश्वर कुँवर का नाम कलमजद किया जाता है। उनके कानूनी वारिसान राजकुमारी देवी, अशोक कुँवर, अवधेश कुँवर, बबन कुँवर, दिनेश कुँवर, संतोष कुँवर, तारा देवी, चतुरी देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 16.03.2026 वास्ते आपेक्षिकांए दाखिल/बहस हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)